

भारत का अंतरदेशीय जल परविहन

प्रलिमिंस के लयि:

मेरीटाइम इंडिया वज़िन 2030, जल वकिसास मारग परयोजना (JVMP), अरथ गंगा, शून्य कारबन उत्सर्जन ।

मेन्स के लयि:

भारत का अंतरदेशीय जल परविहन ।

चर्चा में क्यो?

[मेरीटाइम इंडिया वज़िन \(MIV\)-2030](#) के अनुसार, सरकार का लक्ष्य अंतरदेशीय जल परविहन (IWT) की हसिसेदारी को 5% तक बढ़ाना है ।

अंतरदेशीय जल परविहन (IWT):

परचिय:

- अंतरदेशीय जल परविहन का तात्पर्य **नदयिों, नहरों, झीलों और जल के अन्य नौगम्य नकियायों जैसे जलमारगों** के माध्यम से लोगों, वस्तुओं तथा सामग्रयिों के परविहन से है जो कसिी देश की सीमाओं के भीतर स्थति हैं ।
- IWT परविहन का सबसे कफियाती तरीका है, वशिष रूप से कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, खाद्यान्न और उरवरक जैसे बड़े कारगो के लयि । वर्तमान में भारत के मशिरति मॉडल में 2% की हसिसेदारी के साथ इसका बहुत कम उपयोग कया जाता है ।

IWT के सामाजकि-आर्थकि लाभ:

- कफियाती परचालन लागत और अपेक्षाकृत कम ईधन की खपत
- परविहन का कम प्रदूषणकारी तरीका
- परविहन के अन्य साधनों की तुलना में भूमि की कम आवश्यकता
- परविहन का अधिकि पर्यावरण अनुकूल तरीका
- इसके अलावा जलमारगों का उपयोग नौका वहार और मछली पकड़ने जैसे मनोरंजक उददेश्यों के लयि कया जा सकता है ।

भारत में अंतरदेशीय जलमारगों का दायरा और चुनौतयिाँ:

परचिय:

- भारत में अंतरदेशीय जलमारगों का व्यापक नेटवर्क है, जसिमें नदयिों, नहरें और बैकवाटर शामिल हैं, **जनिकी लंबाई 20,000 किलोमीटर से अधिकि है** । अंतरदेशीय जल परविहन में यात्रयिों और कारगो दोनों के लयि परविहन के एक साधन के रूप में भारत में अपार संभावनाएँ हैं ।
- **जल वकिसास मारग परयोजना (JVMP)** के माध्यम से [राष्ट्रीय जलमारग -1](#) का प्राथमकि वकिसास कया गया, जसिमें [अरथ गंगा](#) शामिल है और इससे आगामी पाँच वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का आर्थकि प्रोत्साहन प्राप्त होगा ।
- अंतरदेशीय जलमारग वर्ष 2070 तक भारत को [शून्य-कारबन उत्सर्जन](#) वाला देश बनाने के प्रधानमंत्री के दृष्टकिण को साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमकि नभिा सकता है ।

चुनौतयिाँ:

- **वर्ष भर कोई नौगम्यता नहीं:**
 - **कुछ नदयिों मौसमी होती हैं** और वर्ष भर नौगम्यता प्रदान नहीं करती हैं । चहिनति 111 राष्ट्रीय जलमारगों में से लगभग 20 कथति तौर पर अव्यवहार्य पाए गए हैं ।
- **गहन पूंजी और रख-रखाव डरेजगि:**
 - सभी चहिनति जलमारगों के लयि गहन पूंजी और रखरखाव डरेजगि की आवश्यकता होती है, जसिका स्थानीय समुदाय द्वारा वसिथापन के भय से एवं पर्यावरणीय आधार पर वरिोध कया सकता है, इससे कार्यानवयन संबंधी चुनौतयिों खड़ी हो सकती हैं ।
- **जल के अन्य उपयोग:**
 - जल के कई महत्त्वपूर्ण उपयोग हैं, जैसे- जीवनयापन के साथ-साथ सचिाई, वदियुत उत्पादन में उपयोग आदि। स्थानीय

सरकार/अन्य के लिये इन ज़रूरतों की अनदेखी करना संभव नहीं है।

- **केंद्र सरकार का विशेषाधिकार क्षेत्र:**
 - संसद के एक अधिनियम द्वारा "राष्ट्रीय जलमार्ग" के रूप में नामित केवल अंतरदेशीय नदियाँ शपिंग और नौवहन के लिये केंद्र सरकार के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।
 - अन्य जलमार्गों में जहाज़ों का उपयोग/नौकायन, समवर्ती सूची के दायरे के अंतर्गत आता है या फरि यह संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होता है।

मैरीटाइम इंडिया वज़िन 2030:

■ परचिय:

- यह समुद्री क्षेत्र के लिये **10 वर्ष का खाका** है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा **नवंबर 2020 में मैरीटाइम भारत शिखर सम्मेलन** में जारी किया गया था।
- यह **सागरमाला पहल का स्थान लेगा** और इसका उद्देश्य जलमार्गों के साथ जहाज़ निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना और भारत में करूज़ पर्यटन को प्रोत्साहित करना है।

■ नीतितगत पहलें और विकास परियोजनाएँ:

- **समुद्री विकास नधि:** 25,000 करोड़ रुपए की नधि, जो इस क्षेत्र को कम लागत तथा दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगी, जिसमें केंद्र सात वर्षों में 2,500 करोड़ रुपए का योगदान देगा।
- **बंदरगाह नियामक प्राधिकरण:** नए भारतीय बंदरगाह अधिनियम (पुराने भारतीय बंदरगाह अधिनियम, 1908 को बदलने के लिये) के तहत एक अखिल भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी ताकि प्रमुख और गैर-प्रमुख बंदरगाहों में नगिरानी को सक्षम किया जा सके, बंदरगाहों के लिये संस्थागत कवरेज बढ़ाया जा सके और नविशकों के विश्वास को बढ़ाने के लिये बंदरगाह क्षेत्र के संरचित विकास की व्यवस्था की जा सके।
- **पूर्वी जलमार्ग संपर्क परविहन ग्रडि परियोजना:** इसका उद्देश्य बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्याँमार के साथ क्षेत्रीय संपर्क विकसित करना है।
- **नदी विकास नधि (RDF):** RDF के समर्थन से अंतरदेशीय जहाज़ों के लिये कम लागत, दीर्घकालिक वित्तपोषण का वसितार करने और ऐसे जहाज़ों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये अंतरदेशीय जहाज़ों हेतु टनभार कर योजना (समुद्री जहाज़ों और ड्रेजर पर लागू) के कवरेज का वसितार करने का आह्वान करता है।
- **पोर्ट शुल्कों का युक्तिकरण:** पारदर्शिता बढ़ाने हेतु शपि लाइनर्स द्वारा लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष शुल्कों को समाप्त करने के अलावा यह उन्हें और अधिक प्रतस्पर्द्धी बना देगा।
- **जल परविहन को बढ़ावा:** शहरी क्षेत्रों की भीड़-भाड़ को कम करने और शहरी परविहन के वैकल्पिक साधन के रूप में जलमार्ग विकसित कर जल परविहन को बढ़ावा देना।

संबंधित सरकारी पहलें:

- [ईसटर्न एंड वेसटर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरडोर \(DFCs\)](#)
- [सागरमाला परियोजना](#)
- [जल मार्ग विकास परियोजना](#)
- [पीएम गति शक्ति](#)
- [अंतरदेशीय पोत वधियक, 2021](#)

आगे की राह

- भारत में बढ़ती आबादी एवं बढ़ते यातायात के साथ **अंतरदेशीय जलमार्गों का विकास न केवल यात्रा के समय को कम करेगा, लोगों तथा वस्तुओं हेतु नरिबाध आवागमन सुनिश्चित करने के साथ लागत प्रभावी होगा और प्रदूषण के स्तर को कम करेगा**। हम एक ऐसी नीति तैयार कर सकते हैं जो सुरक्षा, बुनियादी ढाँचे के समर्थन, अंतर-राज्य समन्वय व परविहन के अन्य साधनों के साथ एकीकरण को बढ़ावा दे सकती है।

स्रोत: पी.आई.बी.